दिनांक 19.03.2013 को मै0 उत्तराखण्ड फॉरेस्ट डैवलपमेंट कॉरपोरेशन, रायपुर रैन्ज जिला देहरादून द्वारा सौंग नदी में लघु लवणों के संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति हेतु आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मै0 उत्तराखण्ड फॉरेस्ट डैवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिला देहरादून द्वारा सौंग नदी, रायपुर रेंज, मसूरी वन प्रभाग, देहरादून में लघु लवणों के संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति की जन सुनवाई के आयोजन हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून में प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2006 यथासंशोधित 2009 के अर्न्तगत आच्छादित है।

लोक परामर्श हेतु विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला के 18.02.2013 के अंक में प्रकाशित की गयी थी। दिनांक 19.03.2013 को जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (वित्त) सुश्री झरना कमठान की अध्यक्षता में पंचायत भवन, ग्राम–सौड़ा, सिरोली, देहरादून में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। लोक सुनवाई में उपस्थिति संलग्नानुसार रही (संलग्नक–1)।

अध्यक्षा महोदया की अनुमति द्वारा 11:30 बजे प्रातः लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

मै0 उत्तराखण्ड फॉरेस्ट डैवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिला देहरादून द्वारा सौंग नदी में लघु लवणों का संग्रहण किया जाना प्रस्तावित है। इस अनुक्रम में परामर्शी संस्था ग्रास रूट्स रिसर्च एण्ड कीएशन इण्डिया प्रा0 लि0, नई दिल्ली के श्री कुलदीप सिंह (महा प्रबन्धक) द्वारा परियोजना की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया।

परामर्शी संस्था के श्री कुलदीप सिंह जी द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना की कुल लम्बाई 2.73 किमी0 है। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य लघु लवणों (रेता, बजरी) का संग्रहण / निष्कर्षण किया जाना है जिनका उपयोग विभिन्न निर्माण कार्यो में किया जायेगा। सौंग नदी में लघु लवणों के इकट्ठे होने की वजह से नदी अपना मार्ग बदल देती है तथा उन्होंने जल मार्ग नियमन की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि इस परियोजना से रोजगार को बढ़ावा दिया जायेगा। इस परियोजना में नदी के केवल बीच के मध्य भाग (50 प्रतिशत) में लघु लवणों का संग्रहण किया जायेगा तथा दोनों तरफ से 25–25 प्रतिशत छोड़ दिया जायेगा। उनके द्वारा अपने प्रस्तुतीकरण में यह भी बताया गया कि 1.5 मीटर गहराई तक रेत, बजरी, बालू का संग्रहण किया जायेगा और संग्रहण कार्य केवल दिन में किया जायेगा तथा संग्रहण कार्य पूर्णतया मैनुअल किया जायेगा जिसमें कोई हैवी मशीनरी का उपयोग नहीं किया जायेगा। यह परियोजना पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीके से की जायेगी।

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

प्रस्तुतीकरण के बाद परियोजना के सम्बन्ध में जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत सुझावों एवं आपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है--

1. **श्री रविन्द्र सिंह कण्डारी, ग्राम–सौड़ा, सिरोली–** इनके द्वारा नदी में खनन खुलने का स्वागत किया गया। उक्त हेतु सरकारी प्रकिया का धन्यवाद किया गया तथा कहा गया कि स्वीकृति आदि की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण की जाये। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि क्षेत्रीय जनता द्वारा पिछले पचास वर्षों से खनन किया जा रहा है एवं क्षेत्रीय जनता का रोजगार इसी नदी पर निर्भर है, उनके द्वारा कहा गया कि खनन के दौरान नदी तटबन्धों को व वन को सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

इस पर सलाहकार संस्था के श्री सुभाष कुमार, सहायक प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि नदी तटबन्धों एवं वनों की पूर्ण सुरक्षा के प्रबन्ध किये गये जायेंगे।

इसके पश्चात् पैनल की अध्यक्षा सुश्री झरना कमठान द्वारा उपस्थित जन समुदाय को लोक सुनवाई के कारणों एवं उद्देश्यों से अवगत कराते हुए पुनः सुझावों एवं आपत्तियां दर्ज कराने को आमंत्रित किया गया। कोई भी अन्य सुझाव एवं आपत्तियां प्राप्त न होने पर पैनल अध्यक्षा द्वारा उपस्थित जन समुदाय का धन्यवाद कर लोक सुनवाई का समापन किया गया।

जन सुनवाई की कार्यवाही की फोटाग्राफी एवं वीडियोग्राफी की गयी है (संलग्नक–फोटो व डी0वी0डी0)।

21.03.13

(नरेश गोस्वामी)
अवर अभियन्ता

(सोमपाल सिंह)
सहा0पर्या0 अधिकारी

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com